बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/कृ०शि०को0–08/2019– 3739 /कृ0, पटना, दिनांक 08/11/ 2019

प्रेषक,

.रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

विषयः– **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, गया के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 2115.01 लाख (एक्कीस करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार) रू० के स्कीम कार्यान्वयन एवं सहायक अनुदान मद् में व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, गया के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 2115.01 लाख (एक्कीस करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार) रू० के स्कीम कार्यान्वयन एवं सहायक अनुदान मद् में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि विज्ञान केन्द्र भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जो जिला स्तर पर कृषि अनुसंधान के साथ–साथ किसानों तक कृषि तकनीक को पहुँचाने का कार्य करती है। कृषि विज्ञान केन्द्र, गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। भारत सरकार की योजना में कृषि विज्ञान केन्द्र के आधारभूत संरचना के साथ–साथ स्थापना के वेतन एवं अनुसंधान संबंधी कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषि के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इन वैज्ञानिकों की क्षमता का शत प्रतिशत उपयोग के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र की अधारभूत संरचना को विकसित करना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र को दी जाने वाली राशि पर्याप्त नहीं रहने के कारण राज्य निधि से कृषि विज्ञान केन्द्रों के आधारभूत संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है।

3. कृषि विज्ञान केन्द्र, गया में वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त संरचनाओं का आकलन किया गया है। इस प्रकार से कृषि विज्ञान केन्द्र, गया में बीज के लिए गोदाम, यंत्रों के रख–रखाव के लिए भवन, वैज्ञानिकों का आवास, आंतरिक सड़क, प्रशिक्षण हॉल, चाहरदिवारी, सिंचाई संबंधी आधारभूत संरचना आदि का निर्माण किया जायेगा।

4. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा दिनांकः 05.02.2019 को आधारभूत संरचनाओं से संबंधित प्राक्कलन में तकनीकी अनुमोदन दिया गया है। प्राक्कलन की प्रति अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है। कुल तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलन की राशि 2132.40 लाख रू० है। इस प्राक्कलित राशि में शामिल डी.पी.आर. तथा सर्वे मद में व्यय की अधिसीमा 20.00 लाख रू० होगी। अतएव सहायक अनुदान के रूप में 2115.01 लाख (एक्कीस करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार) रू० स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. योजना का कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम होगा। स्वीकृति के पश्चात राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार राशि बिहार कृषि विश्वविद्यालय को विमुक्त की जायेगी। बिहार कृषि

विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को आवश्यकतानुसार राशि विमुक्त की जायेगी। योजना का अनुश्रवण कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जायेगी। इस समिति में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, निदेशक कार्य एवं संयंत्र, बिहार कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, गया के कार्यक्रम समन्वयक सदस्य होंगे।

6. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

7. वितीय वर्ष 2019-20 में निम्न प्रकार से बजट शीर्ष में उपबंधित राशि के अधीन स्वीकृत राशि विकलनीय होगा, (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01– फसल कृषि–कर्म, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0108– बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415012770108, विषय शीर्ष–0108.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों का निर्माण।	3302.93	1755.458
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि–कर्म, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415017890103, विषय शीर्ष–0103.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों का निर्माण।	636.71	338.402
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि–कर्म,लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–1, उपशीर्ष– 0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415017960104, विषय शीर्ष–0104.31.05, सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों का निर्माण।	39.80	21.150
कुल	**3979.44**	**2115.010**

8. व्यय हेतु स्वीकृत राशि 2115.01 लाख (एक्कीस करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार) रू० की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से सी.एफ.एम. एस. में विहित रीति से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को आवश्यकतानुसार राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

9. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी0टी0सी0 विपत्र–42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश का उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार से करा लिया जायेगा।

10. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के

अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में माननीय मंत्री की स्वीकृति दिनांक 27.08.19 को संचिका संख्या–4/कृ0शि0को0–08/2019 के पृ0सं0– 14/टि0 तथा माननीय वित्त मंत्री की स्वीकृति दिनांक 30.10.2019 को संचिका संख्या– 4/कृ0शि0को0–08/2019 के पृ0सं0– 28/टि0 पर प्राप्त है।

12. राज्यादेश प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या– 4/कृ0शि0को0–08/2019 के पृ0सं0– 28/टि0 पर दिनांक 30.10.2019 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra 8-11-19

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4/कृ०शि०को0–08/2019– /कृ0, पटना, दिनांक 2019

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा), महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 8-11-19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4/कृ०शि०को0–08/2019– /कृ0, पटना, दिनांक 2019

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 8-11-19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4/कृ०शि०को0–08/2019– /कृ0, पटना, दिनांक 2019

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 8-11-19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4/कृ०शि०को0–08/2019– 3739 /कृ0, पटना, दिनांक 08/11/ 2019

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, कृषि/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग), बिहार ,पटना/ बजट प्रभारी, कृषि विभाग/कृषि विभाग मुख्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप निदेशक शष्य (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

Rabindra 8-11-19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।